जन प्रेरित अभियान .
सर्मथ बस्तर के लिए लोक नियोजन

1. आगे के लिए सुझाया गया रास्ता

1.1. आगे की कार्यवाही के लिए संभावनाएँ

- इस दस्तावेज में पहले ही बस्तर जिले में पूंजी के विभिन्न प्रकार की वर्तमान स्थिति और सामाजिक व आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का आंकलन बर्णित है। इसके बाद क्षमता की कम उपलब्धि के कारणों को समझने के लिए अपनाए गए ढांचे के आधार पर प्रयास किया और अंत में विश्लेषण के आधार पर कुछ चरणों का सुझाव दिया गया है। सुझावों की प्रासंगिकता तभी संभव है जब इन्हें लागू करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। सभी संबंधितों, हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद संशोधित इन सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है और अन्य सिफारिशें जो परामर्श की प्रक्रिया में आएंगी उनका समायोजन कर इसे अंतिम स्वरुप दिया जायेगा।
- बैठकों में लोगों के साथ विचार–विमर्श की एक श्रृंखला भी आयोजित की जाएंगी। जिसमें व्यक्तिगत रूप से और समूहों में भी चर्चा की जाएगी तथा परिणाम स्वरूप आये सुझाव और प्रतिक्रिया आदि को संकलित किया जायेगा। चर्चा सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं, पेशेवर जैसे हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ होगी। नागरिक समाज संगठन, नेता, मीडिया, शिक्षाविद, उद्योगपति, ब्यापारी, किसान और वनवासी आदि इस चर्चा के प्रमुख हितधारक होंगे। दूसरे शब्दों में पंचमुखी समवाय की अवधारणा के तहत परामर्श की भावना में विचार–विमर्श होगा जैसा कि परिचयात्मक खंड में चर्चा की गई है।
- विभिन्न समूहों का गठन विभिन्न विषयों या क्षेत्रों में किया जाएगा, जो लोगों की रुचियों और पृष्ठभूमि पर आधारित होंगे। ये विषय–वार टीमें आपस में और दूसरों के साथ भी बैठक करती रहेंगी। उपयुक्त, माने जाने वाले ईमेल या सोशल मीडिया पर बैठकों के बीच भी चर्चाओं को जारी रखा जा सकता है।

- एक बड़ा समूह, या समन्वय समूह भी बनाया जाएगा जो विशेष टीमों के सुझावों पर बैठक और चर्चा करता रहेगा। सभी हितधारकों और मुद्दों के बारे में चिंतित लोगों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए और यह उन समूह के सदस्यों तक ही सीमित नहीं होगी जो चर्चाओं का समन्वय और ड्राइविंग करेंगे।
- समूह अंत में परामर्श के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुझायी गयी कार्यवाही के लिए दिशा निर्धारित करेंगे।
- कार्यवाही के अनुशंसित दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन तरीकों पर विचार करने और कदम उठाने के लिए एक निष्पादन समूह बनाया जाता है। यह समूह भी विषयों/क्षेत्रों या भौगोलिक स्थिति के आधार पर वांछनीय उप–समूह हो सकते हैं। कार्यान्वयन के समय और जिम्मेदारियों पर फैसला किया जाएगा।
- समूहों ने चर्चा के दौरान सरकारी विभागों और अन्य एजेंसियों के विभिन्न अधिकारियों से विचार–विमर्श किया है। इस स्तर पर सरकारी विभागों या अन्य से सहायता लेने के लिए समवाय द्वारा सरकारी विभागों और अन्य एजेंसियों को ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। कार्ययोजना के लिए बनाये गए संगठन अधिकांश कार्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों से समर्थन प्राप्त करेंगे।
- कुछ गांवों को पायलट कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और इस हेतु निवासियों के साथ चर्चा शुरू की जाएगी। शहरी मुद्दों के लिए एक या दो शहरों को लिया जा सकता है। गांव या कस्बों के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिन परियोजनाओं को लेने का इरादा है उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। सहमति और सुझावों के बाद तीन से पांच समूहों को चयनित गांवों की निर्धारित कार्यवाही हेतु चुना जा सकता है।
- परियोजनाओं स्वामित्व के लिए ग्रामीणों के साथ गहन विचार–विमर्श जारी रहेगा। ग्रामीणों के साथ चर्चा के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के लिए समूह बनाए जाएंगे। मौजूदा एस.एच.जी या उनके सदस्यों की पहचान परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी की जा सकती है। निष्पादित टीम से इनपुट के बाद ग्रामीणों द्वारा ही परियोजनाओं को चुना जाएगा।
- आदर्श रूप से प्रत्येक गाँव या क्लस्टर में कार्यान्वयन के लिए एक से अधिक परियोजनाएँ होनी चाहिए। इससे सामुदायिक कार्यवाही में तालमेल का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए गांव में पर्यटन के साथ खेत या वन उपज का प्रसंस्करण भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की निगरानी के लिए समूह का गठन हर गांव में किया जाना चाहिए। इन समूहों को उन गांवों में भी प्रोत्साहित किया जा सकता है जहां इस पहल के तहत कोई परियोजना नहीं है।

- प्रशिक्षण तंत्र, विपणन सेट–अप आदि पर निर्णय लिए जाएंगे। इन पहलुओं के लिए बाहरी विशेषज्ञों से भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है जिनकी व्यवस्था की जानी चाहिए।
- परियोजनाओं के लिए वित्त के स्रोतों की खोज हेतु प्रयास एक साथ शुरू किए जाने चाहिए। ये नाबार्ड जैसे सरकारी विभाग या संगठन हो सकते हैं। कॉर्पोरेट निकायों से सीएसआर धन तथा स्थानीय या अन्य व्यक्तियों, निजी ब्यवसाइयों, फंडिंग एजेंसियों आदि से दान। क्राउड फंडिंग जैसे अभिनव समाधान भी आजमाए जा सकते हैं। कुछ गतिविधियों के लिए ऋण मांगा जा सकता है।
- प्रमुख संसाधनों को जुटाये जाने में स्वयंसेवकों द्वारा समय, प्रयास, विशेषज्ञता के साथ–साथ निधियों और अन्य संसाधनों का स्वैच्छिक योगदान होगा।
- गतिविधियां शुरू होने के बाद निरंतर निगरानी और समर्थन की आवश्यकता होगी। भुगतान किए गए कर्मचारियों और पेशेवर सेवा प्रदाताओं को कुछ कार्य सौंपे जा सकते हैं।
- ब्यापक रूप से सभी समूहों की नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए जहां कार्यकारी टीम प्रगति की रिपोर्ट कर सकती है। समूह अपनी चुनौतियों, बाधाओं और अनुभव को साझा कर सकते है और समाधान के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। गतिविधियों में आवश्यक संशोधनों को भी पहचाना जा सकता है।
- समुदाय से प्रगति और प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ गतिविधियों के विस्तार के लिए अन्य गांवों के चयन का भी निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही कुछ गतिविधियों के संशोधन या समापन के लिए भी निर्णय लिया जाना है।
- किसी समय, विभिन्न समूहों के संगठन की प्रकृति और कानूनी स्वरूप का प्रश्न है और इसके लिए ग्राम समूह या नागरिकों के स्टीयरिंग समूह सामने आएगा और विभिन्न कारकों और गुणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। या विभिन्न विकल्पों के अवगुण।

1.2. अपेक्षित परिणाम

उपरोक्त सुझावों और अन्य रोलिंग के दौरान विभिन्न प्रयोगों को आजमाया जाएगा जो कि चर्चा और कार्य प्रगति के रूप में सामने आएंगे। इनमे कोई संदेह नहीं है कि कुछ प्रयोग वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल हो सकते है। यह अवधारणा समान, सहभागी और टिकाऊ रास्तों पर आगे बढ़ने वाले समाज के लिए काम करने वाले नागरिकों द्वारा सामुदायिक कार्यवाही शुरू करने की है। यदि कुछ कार्य सफल होते हैं तो हम कुछ ग्रामीणों को अपनी प्रसंस्करण इकाइयाँ चलाते हुए उपभोक्ताओं को स्वस्थ जैविक भोजन की आपूर्ति और पर्यटकों को एक शांत वातावरण में रहने का संतोषजनक अनुभव प्रदान कर सकते है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ गामीणों को अपने स्वयं के मामलों का

प्रबंधन और बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुनिश्चित करने की संतुष्टि हो सकती है। हम कुछ व्यक्तियों को खुद को बेहतर ढंग से व्यक्त करने और अपनी आजीविका गतिविधियों को बेहतर ढंग से महसूस करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं और कुछ खेल में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

समान रूप से महत्वपूर्ण प्रगति वह होगी जो हम एक ऐसे समाज में करते हैं जहां लोग एक साथ आते हैं और कार्य करते हैं। यह जरूरी नहीं कि यह कार्य खुद के लिए ही हों बल्कि समग्र रूप से समाज के लिए जीवन जीने के एक समान और टिकाऊ तरीके से हों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनौतियां होंगी लेकिन साथ आने और उन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास खुद इस जन कर्म यज्ञ में एक कदम होगा जो महात्मा ने स्वराज का सपना देखा था।